

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(आय-व्यय अनुभाग)  
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।  
कार्यालय ज्ञाप

संख्या जी-307/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूँजीलेखा

लखनऊ दिनांक: 21 जून 2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-130/2018/1549/18-27-सि0-4-12 (डब्ल्यू) परि0/ 2018 दिनांक-13-06-2018 द्वारा "धोबा पम्प नहर प्रणाली के पुनर्स्थापना की परियोजना" हेतु प्राधिकारित बजट की धनराशि रु0 257.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के कम में मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है :-  
( आठडे लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रतिष्ठित धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 05-घाघर एवं गरई नहरें (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें 1006-पुनर्स्थापना 24-वृहत्त निर्माण कार्य	( सोन ) वाराणसी।	257.83

(रुपया दो करोड सत्तावन लाख तिरासी हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-01 से 12 तक दिये नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या जी-307 (1)/आई0बी0/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता ( परियोजना ) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता ( विन्ध्यांचल-मिर्जापुर ) सि0वि0, उ0प्र0, इलाहाबाद को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अनुस्रवण)/ (सूचना प्रणाली संगठन) सि0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता ( सोन ) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, वाराणसी को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 11- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- कट फाईल।

(सिद्धांत कुमार गुप्ता)  
मुख्य अभियन्ता (बजट)

सिद्धांत कुमार गुप्ता  
मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग।  
21/06/2018